विवाद | जिला प्रशासन से ताला खुलवाने लिखा गया पत्र, जमीन पर खुलेगा संभाग क्रमांक 13 स्वास्थ्य विभाग का उप कार्यालय

करोड़ों की प्रॉपर्टी की लीज निरस्त, नगर निगम करेगा कब्जा

नवभारत,जबलपुर। राइट टाउन स्थित करीब 60 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी के मामले में निगम प्रशासन द्वारा दिए गए 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी कोई भी पक्ष जमीन के मालिकाना हक के लिए सामने नहीं आया है जिसके बाद बुधवार को नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने प्लॉट क्रमांक 51, राइट टाउन (क्षेत्रफल 25,047 वर्गफीट)की लीज को निरस्त कर दिया है। उक्त जमीन पर कब्जे के लिए अब निगम प्रशासन द्वारा एसडीएम महोदय को पत्र लिखा जा चुका है कि वे जमीन पर लगे ताला को खोलें जिससे नगर निगम उक्त जमीन पर वैधानिक तरीके से कब्जा कर सके। विदित हो कि उपायुक्त शिवांगी महाजन द्वारा नोटिस चस्पा कर संबंधित पक्षों को 24 घंटे के भीतर दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, समय सीमा पूरी होने के बाद भी अभी तक न तो कोई आपत्ति दर्ज कराई गई और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

निगमायुक्त के अनुसार इस

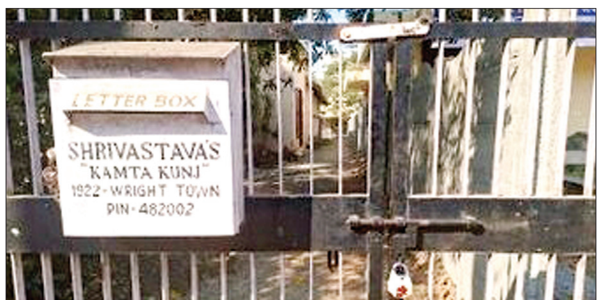

जमीन पर अब संभाग क्रमांक 13 स्वास्थ्य विभाग का उप कार्यालय खोला जाएगा और कार्यालय के माध्यम से जनहित के कार्य किए जाएंगे

कटघरे में रजिस्ट्री ऑफिस की कार्यप्रणाली

राइट टाउन स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर सामने आए डॉ. हेमलता श्रीवास्तव प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। नगर निगम की जांच में खुलासा होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी हो चुकी है। क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस ने दस्तावेजों की वैधता से संपत्ति का हस्तांतरण संभव नहीं है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरी जमीन नगर निगम की लीज पर होने के बावजूद दानपत्र और वसीयत के दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस से बिना वैधानिक अनुमति और जांच के कैसे तैयार कर लिए गए?

लीज भू-भाड़ा नहीं किया गया था जमा

नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट क्रमांक 51, राइट टाउन (क्षेत्रफल 25,047 वर्गफीट) लीज पर था। वर्ष 2020-21 से लीज भू-भाड़ा जमा नहीं किया गया था। जांच हुई तो पता चला कि लीज की शर्त क्रमांक 3, 6, 7 और 8 का उल्लंघन किया गया। वहीं शर्त क्रमांक 6 के तहत नगर निगम को जमीन पर दोबारा प्रवेश का अधिकार सुरक्षित है।

फर्जीवाड़ा करने वाले रहेंगे रडार पर

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने नवभारत को बताया कि राइट टाउन स्थित डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की 25,047 वर्गफीट जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जिसने भी फर्जी वसीयत व अन्य दस्तावेज तैयार किए हैं उनकी जांच एसडीएम कर रहे हैं। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई संभव है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि फर्जी नामांतरण करने वालों पर भी मामले में गाज गिर सकती है। विदित हो कि उक्त जमीन की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है।

ये है मामला

डॉ. हेमलता श्रीवास्तव के पति और पुत्र के निधन के बाद लगभग 11 हजार वर्गफीट भूमि का हिस्सा डॉ. सुमित जैन और प्राची जैन को दानपत्र के माध्यम से दिया गया था, जबकि करीब 14 हजार वर्गफीट भूमि एक धार्मिक संस्था के नाम वसीयत की गई थी। डॉ. हेमलता की मौत के बाद फिर इसी जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद गहरा गया था। विवाद बढ़ता देख जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति को सील कर दिया था।

इनका कहना है

प्लॉट क्रमांक 51, राइट टाउन (क्षेत्रफल 25,047 वर्गफीट) की लीज को निरस्त कर दिया गया है। एसडीएम महोदय को ताला खुलवाने के लिए प्रक्रिया प्रोसस कर दी गई है। डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की इस पूरी जमीन पर अब नगर निगम का अधिपत्य रहेगा। उक्त जमीन को लेकर अल्टीमेटम के बाद कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। जिसके बाद वैधनिक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है।

रामप्रकाश अहिरवार
निगमायुक्त, जबलपुर

बकाया फीस पर बवाल : छात्रा को नहीं मिला एडमिट कार्ड

एबीवीपी का प्रदर्शन
प्रबंधन ने आरोपों को बताया निराधार

नवभारत,जबलपुर। नर्मदा रोड कटंगा स्थित जॉनसन हायर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार सुबह उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब कक्षा दसवीं की छात्रा को कथित रूप से फीस बकाया होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। आरोप है कि एडमिट कार्ड न मिलने से छात्रा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। मामले की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है छात्रा

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फीस के अभाव में किसी छात्रा का भविष्य दांव पर लगाना अन्यायपूर्ण है। जानकारी के अनुसार, छात्रा सानिया उइके आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है। उसकी मां घरों में काम कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं, जिससे समय पर फीस जमा नहीं हो सकी। छात्रा को नि:शुल्क ट्यूशन देने वाले शिक्षक पराग दीवान ने बताया कि सानिया पढ़ाई में अच्छी रही है। उनका कहना है कि फीस बकाया होने के कारण उसे तिमाही, छमाही और अंतत: वार्षिक परीक्षा में भी बैठने से रोका गया।

छात्रा को परीक्षा में बैठने के लिए कहा : प्रबंधन

वहीं स्कूल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। प्रबंधन के अनुसार छात्रा की लगभग 9 हजार रुपये फीस बकाया थी। स्कूल का दावा है कि एडमिट कार्ड वितरित किए जा चुके थे और छात्रा को परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन वह स्वयं परीक्षा देने नहीं आई। प्रबंधन का यह भी कहना है कि कई बार संपर्क करने के बावजूद छात्रा उपस्थित नहीं हुई और अब संस्थान पर प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हेलमेट चैकिंग के दौरान भाजपा नेता से हुई झड़प के मामले में कोर्ट सख्त

एसटीएफ को पुरी जांच रिपोर्ट पेश करने मोहलत

जबलपुर। बल्देवबाग चौराहे पर हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी से पूर्व महापौर प्रभात साहू की हुई कथित झड़प के मामले की एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की ओर से डीएसपी संतोष कुमार तिवारी ने यह जानकारी कोर्ट में पेश की। उन्होंने जांच पूरी करने कुछ मोहलत मांगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले पर अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि जबलपुर के अधिवक्ता मोहित वर्मा ने याचिका दायर कर कहा है कि 18 सितंबर 2025 को बल्देवबाग चौराहे पर पुलिस हेलमेट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना हेलमेट लगाए वहां से पूर्व महापौर प्रभात साहू निकले जिन्हें पुलिस वालों ने रोका। इसी बात पर पूर्व महापौर की पुलिस वालों से झड़प हुई। इस दौरान एक भाजपा विधायक भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जिससे वहां काफी हंगामा भी मचा था। याचिका में आरोप है कि चेकिंग करने वाले आरक्षक कृष्ण कुमार की न सिर्फ पिटाई हुई, बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। विवाद के तूल पकडने के बाद भी पूर्व महापौर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी थी।

साइबर ठगों ने खातों से उड़ाए करोड़ों, नौ एफआईआर

पुलिस कर्मी, डॉक्टर, व्यापारी, रिटायर्ड कर्मचारी ड्राइवर हुए ठगी का शिकार

नवभारत, जबलपुर। साइबर क्राइम पर लगाम कसना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। साइबर ठग हर दिन नए-नए पैंतरें आजमाकर खातों को खाली कर रहे हैं। ठगी के फैले मकड़जाल में अब पुलिस कर्मी, व्यापारी, रिटायर्ड कर्मचारी, ड्राइवर ने फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गवां दी है। ठगों ने खातों से करोड़ों की रकम उड़ाई है। क्राइम ब्रांच समेत गोराबाजार, चरगवां, विजयनगर, कैंट गोहलपुर, ग्वारीघाट, थाने में थानों में साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी की नौ एफआईआर दर्ज की गई है। शातिर जालसाजों ने शेयर मार्केट, मोबाइल हैंक करने के साथ स्मार्ट मीटर अपडेट, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है । इसके अलावा बिना ओटीपी पूछे भी खाते से रकम उड़ाई है।

स्मार्ट मीटर अपडेट का दिया झांसा

ठगों ने खाकी को भी अपना निशाना बनाया। गोराबाजार थाना अंतर्गत कजरवारा निवासी आरक्षक गौतम सिंह को ठग ने फोन कर स्वयं को विद्युत मंडल जबलपुर का कर्मचारी बताकर स्मार्ट मीटर अपडेट करने और रिफंड दिलाने के नाम पर झांसे में लिया और मोबाइल हैंक कर खाते से 1 लाख 5 हजार रूपए उड़ा लिए।

बिना ओटीपी दिए खाते से उड़ी रकम

चरगवां थाना अंतर्गत ग्राम अहमदपुर में रहने वाले विशद जैन एक किराना व्यापारी है। जिसके बैंक खाते से सेंधमारी कर 2,00,000 पार कर लिए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने अपना ओटीपी किसी के साथ साझा नहीं किया था। मामले की शिकायत साइबर पोर्टल पर ऑनलाइन की। 48,000 रूपए होल्ड कराये। इसके बाद चरगवां थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम पर कईयों से फ्रॉड

विजय नगर थाना अंतर्गत कंचन विहार निवासी जीसीएफ से सेवानिवृत्त अशोक कुमार झा को ठग ने कॉल कर स्वयं को बैंक प्रतिनिधि बता एसबीआई क्रेडिट कार्ड को बंद, चालू रखने पर बात की। संबंधित जानकारी ली इसके बाद मोबाइल की स्क्रीन काले रंग की हुई और फोन उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। खाते और दो क्रेडिट कार्डों से कुल 61,000 रुपये निकाल लिए गए। इसी प्रकार विजयनगर कचनार सिटी निवासी मंगेश धापोडकर स्कूल वैन चालक है। जिनका क्रेडिट कार्ड भी बंद करने के नाम पर 1.70 लाख की ठगी की गई। इसी प्रकार गोहलपुर निवासी फहीम राईन के क्रेडिट कार्ड से 199988 रूपए निकाल लिए गए। इसी प्रकर गोहलपुर निवासी स्वपनिलता कश्यप के खाते से 20,000 रूपए ठग ने उड़ाए। इसके अलावा ग्वारीघाट में रहने वाले ललाचंद दसानी के साथ 360000 रूपए ऑनलाइन खाते से ट्रांसफर कर लिए गए।

लोन देने का प्रलोभन देकर ठगा

विजय नगर थाने में श्रीमति बसंती नेताम चौकसे निवासी तुलसी नगर,ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने धनी फाईनेंस लिमि. इंडबुल पर्सनल लोन की वेबसाईट से लोन के लिये आवेदन किया था। इसके बाद लोन देने का प्रलोभन देकर उससे एग्रीमेंट वेरीफिकेशन, लोन, समेत अन्य चार्ज, टैक्स का बोलकर 3,00,000 रूपये से ज्यादा ले लिये लेकिन न तो लोन मिला, न ही कैंसल हुआ और न ही रिफंड हुआ। इसी प्रकार एक अन्य मामले में कैंट में दीपक अग्रवाल निवासी पुल नं. 02 नेहरू नगर सदर केन्ट ने उसके खाते से कुल राशि 1,71,977 रूपये निकालकर ठगी गई।

शेयर मार्केट के मकड़जाल में फंस गवां दिए 3 .4 करोड

शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर डाक्टर से 3,04,82,800 रूपए की धोखाधड़ी की गई। क्राइम ब्रांच में डा. अहतेशम अहमद अंसारी पिता शमीम अहमद अंसारी 45 वर्ष निवासी राजुल टाउन शिप फेस वन मंडला रोड तिलहरी गोराबाजार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फेस बुक के माध्यम से उसे एक विज्ञापन के जरिए ट्रेडिंग प्लेटफार्म के बारे में जानकारी मिली। विज्ञापन की लिंक पर क्लिक किया गया। जिसके बाद वे एक वेल्थ ट्रेडिंग ग्रुप के व्हाट्ए में जुड़ गया था। ग्रुप में भेजी गई लिंक के द्वारा एसीएमई ग्रुप की एप द्वारा डाउनलोड की गई। ग्रुप में उसे ग्रुप एडमिन प्रियका चिखलकर द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के लिए सुझाव दिए गए। मुनाफे का लालच दिया गया । आरोपी प्रियंका की बातों आकर उसने कुल 3,048,2800 रुपये जमा किए थे भेजी गई रकम एप में बढकर प्रदर्शित होती थी लेकिन जब निकलाने का प्रयास किया तो रकम नहीं निकली।

आवेदक के दावे का करो निराकरण

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पीएचई विभाग के इंजीनियर इन चीफ को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी की वेतन विसंगति व अन्य वित्तीय समस्याओं का निराकरण करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है। खंडवा निवासी पांडुरंग बर्डे की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को उसकी मूल नियुक्ति से नियमित स्थापना के आधार पर वेतन निर्धारण कर भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता की वरिष्ठता के आधार पर उसके समस्त अनुषांगिक लाभ जोडक़र वेतन पुनर्निर्धारण कर भुगतान किया जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ता को वर्ष 2009 से अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जाए।

राशि जमा नहीं करने पर 3 भूखण्डों के आवंटन निरस्त

बकायादारों के विरूद्ध जेडीए सीईओ की सख्त कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। प्राधिकरण के भूखण्ड आवंटित कराकर, राशि जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध जेडीए सीईओ द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुये 3 भूखण्डों के आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये जमा अमानत राशि राजसात कर ली गई है। संपदाधिकारी रीति सोनवे द्वारा बताया गया कि जेडीए सीईओ द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आया कि प्राधिकरण की यो.क्र.-11 के अंतर्गत भूखण्ड क्रमांक 56 प्रतिपाल सिंह सौधी को, यो.क्र.-5/14 के अंतर्गत भूखण्ड क्रमांक जे-13 राजेश गोस्वामी को एवं यो.क्र.-5/14 के अंतर्गत भूखण्ड क्रमांक जे-14 जय राजावत (डायरेक्टर जय रियल स्टेट) को उच्चतम ऑफरकर्ता होने से आवंटित किये गये थे, लेकिन कई नोटिस दिये जाने के बाद भी इनके द्वारा आवंटन की राशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं कराई गई। जिसके चलते जेडीए सीईओ दीपक वैद्य के निर्देश पर उक्त तीनों भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली गई है।अब इन भूखण्डों को पुन: ऑफर के माध्यम से विक्रय किया जायेगा।

अन्य व्यक्तियों से कर लेते हैं अधिक दामों पर सौदा

इस संबंध में जेडीए सीईओ दीपक वैद्य द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जेडीए से भूखण्ड आवंटन कराकर, राशि समय पर जमा नहीं की जाती है और इस अवधि के दौरान अन्य व्यक्तियों से अधिक दामों पर भूखण्ड का सौदा कर लिया जाता है, जिससे वास्तविक हितग्राहियों को भूखण्ड नहीं मिल पाते है।

वेटरनरी कॉलेज परिसर में दिखे तेंदुआ शावक के पंजे के निशान

डीएफओ ने कहा... रात के वक्त न निकलें अकेले

नवभारत,जबलपुर। ओएफके परिसर, जीसीएफ के पास, घाना खमरिया में चहलकदमी के बाद अब तेंदुए के बच्चे के पैर के निशान सिविल लाइन स्थित वेटरनरी कॉलेज परिसर में देखे गए हैं। मौके पर पहुंचे स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फारेंसिक एंड हैल्थ के एक्सपर्ट्स ने भी आशंका जाहिर की है कि ये निशान तेंदुए के शावक के ही हैं। इस खबर के बाद वेटरनरी कॉलेज के कर्मचारियों में खासी दहशत व्याप्त हो गई है। सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि तेंदुए के बच्चे ने परिसर में दस्तक दी है मतलब बड़ा तेंदुआ परिसर के आसपास मौजूद है। कर्मचारियों ने व वेटरनरी प्रबंधन ने डीएफओ से मांग की है कि वेटरनरी कॉलेज परिसर के आसपास अभियान चलाकर तेंदुओं के बारे में सर्चिंग की जाए।

फूल तोड़ते समय दिखे निशान

जानकारी के अनुसार वेटरनरी कॉलेज परिसर में कर्मचारी विनीत बैरागी अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर रोजाना की तरह पौधों में पानी डाल रहा था। इसके बाद वह फूल तोड़ने पौधों के पास गया जिस दौरान उसने देखा कि जमीन पर तेंदुआ के पैर के निशान बने हैं। इसके बाद उसने तत्काल वेटरनरी प्रबंधन और वन विभाग को सूचना दी जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर मुआयना किया।

इनका कहना है

वेटरनरी कॉलेज परिसर में तेंदुए के पैर के निशान मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम को भेजा गया था। जमीन पर पानी और मिट्टी अधिक थी जिस वजह से तेंदुए के पैर के निशान होने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। एहतेयात के तौर पर वेटरनरी कॉलेज के कर्मचारियों को कहा गया है कि वे रात में न निकलें और अगर निकलें तो टॉर्च लेकर शोर करते हुए निकलें।

पुनीत सोनकर
डीएफओ जबलपुर

अवैध रूप से ट्रक काटते गोदाम पर क्राइम ब्रांच का छापा

जबलपुर। खजरी खिरिया बाईपास स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से वाहनों को काटने और उनके पुर्जे बेचे जाने की भनक लगते ही क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर दी जहां अवैध कटान का भंडाफोड़ हुआ। बिना आरटीओ अनुमति के ट्रक को काटा जा रहा था।

क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा के मुताबिक सूचना मिली थी कि अधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुद्दतसिर अली के गोदाम में ट्रकों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए जब पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा, तो वहां ट्रक क्रमांक एमपी 20 एच बी 0165 को काटा जा रहा था। जब संचालक से वाहन काटने संबंधी आरटीओ का कैंसिलेशन लेटर मांगा गया, तो वह कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

गोदाम में चार कारें भी मिलीं

मौके पर एक ट्रक पहले से ही कटा हुआ पाया गया, जिसका कीमती सामान दूसरे ट्रक में लोड किया जा चुका था। परिसर में 4 कारें भी खड़ी मिलीं, जिन्हें काटने की तैयारी थी।पुलिस ने मौके से वाहनों और सामान को जब्त कर लिया है। मामले में विस्तृत जांच की जा रही है कि ये वाहन चोरी के तो नहीं थे जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

कठिन विषयों के पेपर में 200 विद्यार्थी अनुपस्थित

नवभारत, जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जा रहीं बोर्ड परीक्षाओं में बुधवार को बारहवीं कक्षा के रसायन शास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन,इतिहास एवं साइंस एग्रीकल्चर विषय का पेपर था,जो कि यह सभी विषय एक कठिन विषयों में भी जाने जाते हैं। सहायक संचालक आर के बधान से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों में मिलाकर कुल 99 केंद्रों पर आयोजित हुई। जिसमें कुल 16527 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे। लेकिन 16326 विद्यार्थियों ने ही इन विषयों की परीक्षा दी है, जबकि 200 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित थे। 10 फरवरी से शुरू हुई हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में अभी तक सिर्फ एक ही नकल प्रकरण सामने आया हैं। इसी प्रकार बुधवार को भी बारहवीं कक्षा के सभी विषयों के पेपर में भी कोई नकल प्रकरण नहीं बना है। इसके अलावा नकल पकड़ने के लिए गठित की गई उड़न दस्ता आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57